चिल्ड्रन प्रेस सर्विस
बुलेटिन

वर्ष - १ | अंक - १ | पृष्ठ संख्या - १२ | प्रकाशनार्थ नई दिल्ली, दिसम्बर २००६

प्रधान संपादक
हसरत अर्जुमन्द

संपादक
आशेन्द्र सिंह

सलाहकार मंडल
के. कन्नन
गजेन्द्र नौटियाल
बिभास

संपर्क पता
चिल्ड्रन प्रेस सर्विस बुलेटिन
c/o ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव
प्रथम तल, रेल आरक्षण बिल्डिंग
५० ए, स्ट्रीट १७, ज़ाकिर नगर, ओखला
नई दिल्ली - ११० ०२५
दूरभाषः ०११-२६९३५४५२,
०९८६८४६६४०१, ०९९९९०४२८९८
ई-मेलः gmi@grassrootsglobal.net

सीमित वितरण हेतु

बच्चों की आवाज़

गत सितम्बर माह में स्विट्ज़रलैण्ड स्थित जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई । यह पहला अवसर था जब बैठक के दौरान १५ सितम्बर को ओपन फ़ोरम के तहत सामान्य चर्चा में विभिन्न देशों से आए बच्चों ने बाल अधिकारों को लेकर कमेटी के समक्ष समस्याएं रखीं । इस बैठक में भारत से उत्तरांचल के दो बच्चों ने शिरकत की । मानवाधिकारों को लेकर आज विश्व स्तर पर पहल की जा रही है । इस बैठक में बच्चों ने अपनी बात रखकर अपील की कि ऐसी ही महती पहल बाल अधिकारों के सरंक्षण को लेकर करना आवश्यक है । बच्चे अब न केवल बाल अधिकारों से जुड़ी समस्याओं बल्कि सामाजिक समस्याओं के प्रति भी जागरूक हुए हैं । यह समस्या दहेज प्रथा की हो अथवा बाल विवाह की; कन्या भ्रूण हत्या की हो अथवा लिंग आधारित भेदभाव की; या अशिक्षा के दुष्प्रभाव की हो अथवा बिगड़ते पर्यावरण की । इतना ही नहीं समाज में जो भी सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं वे भी बच्चों की नज़रों से ओझल नहीं हैं ।

समाज में विद्यमान सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को लेकर विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की अभिव्यक्ति को मंच प्रदान करने का एक प्रयास "चिल्ड्रन प्रेस सर्विस" के रूप में हम कर रहे हैं । इस बुलेटिन में हमने बच्चों द्वारा लिखित सामग्री का बिना तोड़े-मरोड़े समावेश किया है ।

आपसे हमारी अपेक्षा है कि इसे अपने समाचार-पत्र, पत्रिका अथवा अन्य प्रकाशन में प्रकाशित कर बच्चों का उत्साहवर्द्धन करें ताकि विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर उनकी लेखन क्षमता का विकास हो सके । सामाजिक संस्थाओं से भी हमारा यही अनुरोध है कि वे इस पहल में सहयोग कर बच्चों की आवाज़ को बल प्रदान करें ।

"जर्नेलिस्ट अलर्ट" का उद्देश्य उन पत्रकारों व लेखकों से सहयोग प्राप्त करना है जो बच्चों से जुड़े मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं ।

हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस पहल में आपका सहयोग हमारी हौसलाअफ़ज़ाई करेगा ।

❑ *संपादक*

Plan
Be a part of it.

मेरी जेनेवा यात्रा

❑ *अर्चना बिष्ट*[1]

मेरा नाम अर्चना बिष्ट है । मेरी उम्र ९ साल है और मैं उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले के गैरसैण ब्लॉक के अर्न्तगत आने वाले नैणी गांव की रहने वाली हूँ । मैं खुद एक बालिका हूँ और मुझे पिछले दिनों स्विट्ज़रलैण्ड की राजधानी जेनेवा जाने का मौक़ा मिला। यहां पर मैंने संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कमेटी के समक्ष बाल अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी। अपने गांव नैणी से लेकर जेनेवा तक की मेरी यात्रा अलग-अलग अनुभवों व रोमांच भरी रही ।

अब तक संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कमेटी की बैठक में विश्व के अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने देश में बाल अधिकारों की स्थिति पर चर्चा करते थे । यह पहला अवसर था जब इस बैठक में विश्व के विभिन्न देशों में बाल अधिकारों के लिए कार्यरत ग़ैरसरकारी संगठनों के सानिध्य में बच्चों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिला ।

इस आयोजन में बाल अधिकारों के लिए कार्यरत संस्था प्लान इंटरनेशनल के सानिध्य में उत्तरांचल से मैं व मेरे एक और साथी लक्ष्मण सिंह नेगी भारत का प्रतिनिधित्व करने गए ।

गैरसैण से काठगोदाम व नैनीताल होते हुए हम दिल्ली पहुंचे । यहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद कुछ अख़बार वालों ने हमारा इंटरव्यू लिया । ये पल हमारे लिए रोमांच भरे थे । अगले दिन हम हवाई जहाज़ से स्विट्ज़रलैण्ड के लिए रवाना हुए। स्विट्ज़रलैण्ड के जूरिक शहर में हमारा हवाई जहाज़ उतरा । हमने वहां के हवाई अड्डे पर बने चिल्डन रूम को देखा। इस रूम में छोटे से लेकर बड़े बच्चों के खेलने के लिए बहुत सी सामग्री थी । यहां हमें बहुत मज़ा आया । इसके बाद हम अगली फ़्लाइट से जेनेवा के लिए रवाना हुए । जेनेवा पहुंचने पर हमने होटल में थोड़ी देर आराम किया । इस के बाद हम एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए । यहां का खाना बहुत मंहगा था । मुझे यह खाना बहुत गन्दा लगा क्योंकि अधिकांश खाना केवल उबला हुआ था ।

जेनेवा शहर की साफ़-सफ़ाई मुझे बार-बार आकर्षित कर रही थी । वहां की सड़कें एक दम साफ़ थीं । सड़क के किनारे जगह-जगह कूड़ेदान रखे थे जिनमें लोग कूड़ा-कचरा डालते थे । मुझे वहां के लोगों की ईमानदारी ने भी काफ़ी प्रभावित किया । मैंने देखा कि यात्री तब तक बस स्टॉप पर ही खड़े रहते हैं जब तक कि उन्हें टिकट नहीं मिल जाता, जबकि बसों में कोई टिकट देखने वाला नहीं होता । यहां के लोगों का स्वभाव काफ़ी शांत व सज्जनता से भरा था । अगर उनसे कोई ग़लती हो जाती तो वे उसके लिए तुरंत माफ़ी मांगते । किन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं है ।

हमने वहां पर एक प्राकृतिक झील भी देखी । इस झील का नाम लैमोन है । इसमें लगभग १४० मीटर ऊँचा एक फव्वारा लगा है जिसका नाम है जीडयू । इस दौरान हमने वहां के गांव भी देखे । वहां के गांव बहुत ही स्वच्छ थे; प्रत्येक गांव में खेल का मैदान और चर्च था । यहां हमने सेब, अंगूर और सूरजमुखी की फ़सल वाले खेत भी देखे । ये खेत बहुत ही साफ़ व सुंदर थे । इसके बाद जेनेवा में हमारी कार्यशाला शुरू हुई । इस कार्यशाला में अलग-अलग देशों से लगभग ६० बच्चे शामिल हुए । हम सभी आपस में मिलकर काफ़ी ख़ुश थे ।

कार्यशाला के पहले दिन हमें जेनेवा के बारे में ५ जानकारियां प्राप्त करने को कहा गया । यह कार्य हमारे लिए अनोखे अनुभव भरा रहा । कार्यशाला के अगले दिन हम सभी बच्चों ने मिलकर अपने-अपने देशों की समस्याएं बताईं । इनमें बाल अधिकारों से जुड़ी बातें प्रमुख थीं । हमारे साथ जो सर थे उन्होंने इन समस्याओं को एक चार्ट में नोट कर लिया ।

[1] ***अर्चना बिष्ट*** *उत्तरांचल के नैणी गांव की निवासी है तथा कक्षा ६ की छात्रा है ।*

कार्यशाला का तीसरे दिन हमें दो समूहों में बांट दिया गया । दोनों समूहों के दो-दो रिपोर्टर बने । हमने जो बातें बताईं वे उन्होंने नोट कीं । इसके बाद हमें तीन समूहों में बांटा गया । ये समूह अलग-अलग आयु वर्ग के बच्चों के थे । मैं छोटे बच्चों के समूह में थी, अतः मुझे चित्रों के द्वारा अपनी बात रखने का मौक़ा मिला ।

दो समूहों की गतिविधियों का निष्कर्ष था कि स्कूल में बच्चों को बाल अधिकारों के बारे में बताया जाए । लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें बाल अधिकारों के बारे में कैसे पता चलेगा; इस पर मैंने एक कॉमिक्स बनाई ।

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कमेटी में १८ सदस्य हैं । कार्यशाला के दौरान एक दिन कमेटी के सदस्यों के साथ बच्चों के लिए ओपन फोरम के तहत सामान्य चर्चा का दिन रखा गया । इस दौरान मैंने कमेटी की दो सदस्या रोज़ा मारीया व फीलाली का इंटरव्यू लिया । मैंने उनसे पूछा कि क्या बाल भागीदारी को नापा जा सकता है ? उन्होंने कहा, “हाँ”!

कार्यशाला के अन्तिम दिन हमने कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा की और उन्हें अपनी समस्याएं बताईं । सभी सदस्यों ने हमारे सवालों का जवाब दिया और अन्त में हमें संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया।

जेनेवा से लौटते हुए मैं सोच रही थी कि अगर हमारा देश भी इतना ही साफ़-सुथरा होता और लोग ईमानदार होते तो कितना अच्छा होता !

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

पहल बनी वरदान

❑ *दीपक शाह*[2]

उत्तरांचल के चमोली ज़िले के धुनारघाट गांव में अब से कुछ समय पहले तक शिक्षा का अभाव था । फलस्वरूप लोगों का मानसिक व सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा था । लगभग दो वर्ष पूर्व यहां की एक २८ वर्षीय युवती संगीता काला ने अपनी शिक्षा पूरी कर आसपास के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक स्कूल खोला । संगीता की यह पहल क्षेत्र के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है । विध्यानगरी में खुले इस स्कूल को उन्होंने "नव जागृति पब्लिक स्कूल" नाम दिया है ।

इस स्कूल में नाम मात्र का शुल्क लेकर बच्चों को अच्छी सुविधाएं व शिक्षा मुहैया कराई जाती है । साथ में ग़रीब बच्चों को निःशुल्क गणवेश व पुस्तकें भी दी जाती हैं । संगीता क्षेत्रीय महिलाओं के साथ मिलकर जल, जंगल और ज़मीन से जुड़े मुद्दों पर भी काम करती हैं । फलस्वरूप उनकी पहचान एक समाज-सेविका के रूप में बन गई है ।

संगीता का कहना है, "मैंने जब देखा कि गांव में शिक्षा के अभाव से बच्चे न तो स्वयं को अभिव्यक्त कर पाते थे, न ही आगे आकर अपनी समस्याएं बता पाते थे । आम समारोहों में वे पीछे खड़े होते थे, खेलों में उनकी भागीदारी ना के बराबर रहती थी । इन सब के पीछे मुख्य कारण था शिक्षा की कमी और उससे उपजी आत्मविश्वास की कमी ।"

संगीता ने बताया, "विद्यालय खोलने के लिए मैंने किसी से कोई मदद नहीं ली । मेरे पिता जी अपनी मृत्यु से पहले मेरे नाम ३५ हज़ार रुपये जमा कर गए थे । यह पैसा ब्याज़ सहित ज़्यादा हो गया जिसे निकाल कर मैंने विद्यालय खोला ।"

संगीता का सपना है कि वे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जाएं । हाल ही में यहां आयोजित किसान मेले में संगीता के स्कूल के बच्चों ने पहला और दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया ।

संगीता की इस पहल की सराहना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी उन्मुक्त कंठ से करते हैं । छात्र हरीश की मां गोविन्दी देवी और प्रकाश की मां शाहकरी देवी का कहना है कि जब से उनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं उनमें कई सकारात्मक परिवर्तन आए हैं । जैसे अब वे अपने कार्यों और लक्ष्य के प्रति अधिक ज़िम्मेदार व लगनशील हो गए हैं । स्कूल की छात्रा कविता और सोनम का कहना है कि उन्हें स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है । उनके अनुसार उनके शिक्षक गणित तथा अन्य कठिन विषय उन्हें खेल-खेल में पढ़ाते हैं । दोनों छात्राओं के मुताबिक़ उनके पढ़ाने का तरीक़ा सभी छात्र-छात्राओं को बहुत पसंद है ।

हालांकि जितने मुंह उतनी बातें; लेकिन सभी की बातें संगीता काला की इस पहल को क्षेत्र के लिए एक वरदान मानती है।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[2] ***दीपक शाह*** *उत्तरांचल के धुनारघाट गांव का निवासी है ।*

पर्यटकों को लुभा रहा है साइकिल रिक्शा

❑ *लक्ष्मी नौटियाल*[3]

नवगठित उत्तरांचल राज्य का यूं तो हर कोना हरियाली और ऊँची-नीची घाटियों से समृद्ध है, लेकिन मसूरी शहर पर्यटकों के लिए हमेशा से आकर्षण का केन्द्र रहा है ।

सन् १८३८ में ब्रिटिश हुकूमत द्वारा बसाये गए इस शहर की वादियां देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए रोमांच का केन्द्र रही हैं। इसी रोमांच में एक कड़ी और जुड़ गई जब १९९४ से यहां पर गियर वाले साइकिल रिक्शों का प्रचलन शुरू हुआ । ब्रिटिश शासन काल में यहां हाथ से खींचने वाले रिक्शों का प्रचलन था । पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यातायात का एक मुख्य साधन ये रिक्शे ही थे, लेकिन आम लोगों के लिए इनमें बैठना संभव नहीं था । इन रिक्शों पर सिर्फ़ अंग्रेज़ मेमसाहब ही सवारी करती थीं ।

वर्तमान में प्रचलित गियर वाले रिक्शे पहाड़ी या ढ़लान वाली सड़कों पर आसानी से चलते हैं । लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी के निदेशक के अनुरोध पर इन रिक्शों को आई आई टी रुड़की ने विकसित किया है । इन रिक्शों में एक तरफ़ जहां सवारियों को सुविधा होती है वहीं दूसरी तरफ रिक्शा चालकों को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती ।

हाथ से रिक्शा खींचने की प्रथा को समाप्त करने के लिए यहां के मज़दूरों ने काफ़ी संघर्ष किया । इस विषय में यहां के मज़दूर संघ के महामंत्री देवी गोदियाल का कहना है, ''कई वर्षों के संघर्ष के बाद मसूरी से मनुष्यों द्वारा मनुष्यों को खींचने वाली हाथ रिक्शा प्रथा १९९४ में जाकर समाप्त हुई ।

एक रिक्शा चालक भाग सिंह के अनुसार मसूरी जैसी पर्यटक नगरी में गर्मियों के सीज़न में खूब कमाई हो जाती है, लेकिन साल के अन्य दिनों में धंधा मंदा रहता है । मसूरी में अधिकांश रिक्शा चालक समीपवर्ती ज़िला टिहरी के हैं । यहां पर बहुत कम रिक्शा चालक ऐसे हैं जिनके पास अपने रिक्शे हैं । अन्यथा अधिकांश रिक्शा चालक मज़दूर हैं । गर्मियों के सीज़न के अलावा मज़दूर बाक़ी समय में अधिक मेहनत के बावजूद भी ज़्यादा नहीं कमा पाते । फिर भी मसूरी में चलने वाले गियर वाले रिक्शे एक ओर जहां कई लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन हैं वहीं पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र भी।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[3] ***लक्ष्मी नौटियाल*** *उत्तरांचल के गैरसैण गांव की निवासी है तथा कक्षा १२ की छात्रा है ।*

मेहनत से बनी बंजर भूमि उपजाऊ

❑ *दीपा झिक्वांण*[4]

उत्तरांचल राज्य के गैरसैंण क्षेत्र की ख़ूबसूरत वादियों के बीच बसा है मूंसो गांव । इस गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती-किसानी है । पहले गांव की अधिकांश ज़मीन बंजर थी । उत्तरांचल की घाटियों की तरह इस गांव में भी ख़ूबसूरती तो थी, लेकिन बंजर भूमि में किसान ज़्यादा कुछ पैदा नहीं कर पाते थे ।

गैरसैंण अंचल समुद्र तल से लगभग ५ हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित है । इस क्षेत्र की प्रमुख फ़सलों में चावल, ज्वार, झांगुरा, लहसुन, दालें, बाजरा और माल्टा फल शामिल हैं ।

उत्तरांचल सरकार के चाय बोर्ड की प्रेरणा और सहयोग से मूंसो गांव के किसानों ने चाय की पत्ती के पौधे तैयार किये । इन पौधों को वे अपने बंजर खेतों में तो लगा ही रहे हैं, साथ ही अपने साथी किसानों के खेतों में भी लगा रहे हैं । धीरे-धीरे गांव की बंजर पड़ी भूमि चाय के बाग़ानों में तब्दील होती जा रही है । अब तक ये किसान इस भूमि में कोई उत्पादन नहीं करते थे क्योंकि उसमें उन्हें हानि ही होती थी ।

गांव से लगभग १५ सौ मीटर की ऊँचाई पर लगाए गए चाय के पौधे ग़रीब किसानों को रोज़गार उपलब्ध करा उनकी रोज़ी-रोटी का साधन बने हैं । मूंसो गांव के किसानों ने बंजर भूमि में चाय के बाग़ान तैयार कर सिद्ध कर दिया है कि यदि मार्गदर्शन और सहयोग मिले तो बंजर ज़मीन में भी हरियाली लहलहा सकती है ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[4] ***दीपा झिक्वांण*** *उत्तरांचल के सिलंगी गांव की निवासी है ।*

जहां चाह वहां राह

❑ *लक्ष्मी पंवार*[5]

ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के सीमित होते साधनों ने भूमिहीन किसान व मज़दूरों को शहरों की तरफ़ पलायन के लिए मजबूर किया है । इन परिस्थितियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सूझबूझ से पलायन का रास्ता न चुनकर रोज़गार के अवसर खोज निकालते हैं ।

उत्तरांचल के चमोली ज़िले में लगभग ३० परिवारों की बसाहट वाला डांगीधार गांव गैरसैंण से २ किमी की दूरी पर स्थित है। गांव में एक परिवार है बलवन्त का । लगभग ४० वर्षीय बलवन्त के परिवार में उसकी मां, पत्नी और ३ बच्चे हैं । बलवन्त किसी सरकारी विभाग या ग़ैरसरकारी संगठन में नौकरी नहीं करता, फिर भी वह अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह करता है । इसके लिए वह खेती पर भी आश्रित नहीं है ।

दरअसल गैरसैंण बस स्टैंड के सामने बलवन्त की एक छोटी सी दुकान हैं । खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर स्थित इस दुकान में सर्दियों के मौसम में बलवन्त मूंगफली बेचता हैं । गर्मियों के दौरान वह मूंगफली के स्थान पर आइसक्रीम बेचने लगता है । वहीं जब बरसात का मौसम आ जाता है तो वह टूटे हुए छातों को बनाने का काम शुरू कर देता है । उधर बलवन्त की पत्नी घर पर भैंस पाल कर उसका दूध बेचती है । वह प्रतिदिन सुबह-शाम मिलाकर ६ लीटर दूध बेच लेती है।

सर्दियों में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बलवन्त मूंगफली बेचने के साथ ही पास में अलाव जला लेता हैं जिससे कि लोग हाथ सेंकने के बहाने आते हैं और बलवन्त की मूंगफली की बिक्री भी होती है । अनपढ़ होने के बावजूद भी बलवन्त मौसम के अनुसार व्यवसाय चुनकर अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह कर रहा है । किसी-किसी मौसम में वह फलों की दुकान भी लगाता है ।

बलवन्त का कहना है "मैंने रोज़गार की तलाश में शहर जाने की अपेक्षा मौसम के अनुसार सामान बेचने का विचार बनाया। घर से मैं सुबह आता हूँ और शाम को सामान बांधकर घर वापस पहुंच जाता हूँ । इससे मैं अपने परिवार का भरण-पोषण आसानी से कर लेता हूँ ।"

लाभ की बात बताते हुए वह कहता है "मुझे दुकान का कोई किराया देना नहीं पड़ता । अगर मैं १००० रुपये का सामान लाता हूँ तो उसे बेचने पर मुझे ५०० रुपये का मुनाफ़ा हो जाता है ।

बलवन्त की सूझबूझ और मेहनत को देखकर यही कहा जा सकता है कि 'जहां चाह वहां राह' ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[5] ***लक्ष्मी पंवार*** *उत्तरांचल के जांकीधार गांव की निवासी है ।*

दहेज प्रथा मिटाने की पहल

❑ *मुनीर अहमद[6] व अनिल कुमार जायसवाल[7]*

दहेज हमारे समाज में जहां प्रतिष्ठा और इज़्ज़त का प्रतीक रहा है वहीं दूसरी ओर निर्धन वर्ग के लिए एक अभिशाप ।

नेपाल सीमा के निकट उत्तर प्रदेश का महाराजगंज ज़िला भी इस बुराई से अछूता नहीं है । इस ज़िले में कई जाति व समाज के लोग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफ़ी सम्पन्न हैं । वे अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपनी लड़कियों की शादी में खूब दहेज देते भी हैं और लड़कों की शादी में लेते भी हैं । इसका यदि दूसरा पहलू देखा जाए तो इस प्रथा ने ग़रीब परिवारों के बीच भी अपनी सेंध जमा ली है ।

आज ग़रीब परिवारों के बीच दहेज के बढ़ते प्रचलन ने उन्हें घर, ज़मीन तक बेचने को मजबूर कर दिया है । इस प्रथा को समाप्त करने के लिए ज़िले में कई प्रयास किये जा रहे हैं ।

ज़िले के त्रिलोकपुर गांव के एक ८० वर्षीय बुज़ुर्ग नरेश प्रजापति का कहना है कि पहले ठाकुर, ब्राह्मण और जायसवाल समाज में अपना नाम ऊँचा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लिया और दिया जाता था । आज भी इन समाजों में कार, क़ीमती घरेलू सामान व ज़ेवरात देने का प्रचलन है । इन लोगों को देखकर ग़रीब परिवारों में भी दहेज का प्रचलन बढ़ रहा है जिसकी पूर्ति वे अपनी सम्पत्ति बेचकर करते हैं ।

नरेश प्रजापति का कहना है कि इस प्रथा को समाप्त करने के लिए वे सामाजिक पहल कर लोगों को समझाइश दे रहे हैं ताकि ग़रीब व किसानों को इससे मुक्ति मिल सके ।

स्थानीय लोग अपनी लड़की की शादी में दहेज इसलिए देते हैं ताकि वह ससुराल में खुश रहे । वहीं दहेज लेने वालों की सोच है कि बहू आने से उनके घर में एक सदस्य का ख़र्चा बढ़ेगा, इसलिए दहेज लिया जाए ।

त्रिलोकपुर गांव में कार्यरत महिला संगठन की मुखिया अमीरुन्निशा का कहना है, ''संगठन समय-समय पर दहेज प्रथा के विरोध में पहल करता रहता है, लेकिन अभी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं ।'' अमीरुन्निशा मानती है कि दहेज प्रथा को एक सामाजिक बुराई का दर्जा देते हुए समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर आना होगा और इसे समाप्त करना होगा ।

गांव के समाजसेवी विनय कुमार सिंह बढ़ते दहेज प्रथा के प्रचलन का मुख्य कारण अशिक्षा को मानते हैं। विनय जी का कहना है, ''अगर समाज शिक्षित होगा तो वह इस प्रथा को बुराई के रूप में स्वीकार कर सकेगा । साथ ही जब बालिकाएं पढ़-लिखकर आत्मनिर्भर हो जायेंगी तो वे अपने अधिकारों को जान सकेंगी तथा सामाजिक बुराईयों से लड़ सकेंगी । अतः दहेज प्रथा समाप्त करने के लिए समाज को शिक्षित बनाया जाए ।''

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[6] ***मुनीर अहमद*** *उत्तर प्रदेश के बनरहवां गांव का निवासी है तथा कक्षा ६ का छात्र है ।*

[7] ***अनिल कुमार जायसवाल*** *उत्तर प्रदेश के श्यामकाट गांव का निवासी है तथा कक्षा ६ का छात्र है ।*

लड़के की चाहत में हो रही कन्या भ्रूण हत्या

❑ *अनिल कुमार जायसवाल*[8]

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की भांति नेपाल के सीमावर्ती ज़िले महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में भी अल्ट्रासाउण्ड और कन्या भ्रूण हत्या का प्रचलन बढ़ता जा रहा है । यह ग़ैरक़ानूनी है, लेकिन लोग लड़के की चाहत में ऐसा कर रहे हैं । महाराजगंज के एक गांव त्रिलोकपुर में एक ३५ वर्षीय महिला के पति ने उसका अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण करवा भ्रूण में पल रही कन्या का गर्भपात करा दिया । यहां के निकटवर्ती कस्बे भैरहवां में यह अवैध कारोबार खूब फल-फूल रहा है ।

त्रिलोकपुर के निवासी बृजेश शुक्ला का इस संदर्भ में कहना है कि उनके गांव में लिंग भेद-भाव कम होता जा रहा है, लेकिन इस घटना ने गांव वालों को झकझोर दिया है । उसके अनुसार लोग लैंगिक भेद-भाव को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और उन्हें सफलता भी मिल रही है । गांव वालों का प्रयास है कि लड़कियों के साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए।

एक ग्रामीण महिला विमला साहनी का कहना है, ''लड़के-लड़कियों के बीच भेद-भाव, लड़के की चाह में कन्या भ्रूण हत्या बड़े व धनाड्य घरो में ज़्यादा होती है । अपने स्तर पर इसे समाप्त करने के लिए हम प्रयासरत हैं ।'' एक हरिजन महिला रामरती का कहना है, ''हमारे गांव त्रिलोकपुर में जो बड़े घराने हैं उनमें लड़के-लड़कियों के बीच असमानता का व्यवहार किया जाता है, लेकिन बाहरी लोगों को इसका पता नहीं चलता ।''

आमतौर पर क्षेत्रीय लोगों की मानसिकता है कि लड़की अगर है तो उसे पढ़ाने-लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं । उसे दूसरे के घर ही जाना है । लोगों की मान्यता है कि लड़की तो एक बोझ है । अगर हम लड़के को पढ़ाऐंगे-लिखाऐंगे तो वह न सिर्फ़ अच्छी नौकरी कर घर चलाऐगा बल्कि उससे वंश भी चलेगा ।

रामरती का कहना है, ''लोग आज भी लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं । मेरी शादी भी कम उम्र में ही कर दी गई थी जिसके दुष्परिणाम मैं आज भी भोग रही हूँ ।''

ग़ैरक़ानूनी रूप से हो रहे अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या से एक तरफ़ जहां समाज में लैंगिक अनुपात बिगड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ भयाभह भविष्य के संकेत भी मिल रहे हैं ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[8] ***अनिल कुमार जायसवाल*** *उत्तर प्रदेश के श्यामकाट गांव का निवासी है तथा कक्षा ६ का छात्र है ।*

मदारी का खेल

❑ *कुलदीप कुमार*[9]

बराईपार नामक गांव में एक दिन एक मदारी आया । मदारी के साथ एक भालू और एक बंदर-बंदरिया भी थे । मदारी आकर एक मैदान में बैठ गया और उसने अपनी झोली से डमरू निकाल कर बजाना शुरू किया । डमरू की आवाज़ सुन कर गांव के सारे बच्चे मदारी के चारों तरफ़ आकर खड़े हो गए । बच्चों के साथ-साथ मदारी का खेल देखने बड़े लोग भी इकट्ठा होने लगे । जब ख़ूब भीड़ हो गई तो मदारी ने अपना खेल शुरू किया ।

मदारी ने डमरू बजाते हुए कहा, 'बच्चो, ज़रा एक बार ज़ोर से ताली तो बजा दो' । बच्चों ने ख़ुशी-ख़ुशी ज़ोर से ताली बजाईं । तभी मदारी ने भालू से कहा कि देखो बच्चों ने कितनी ज़ोर से ताली बजाई है, ज़रा इन्हें नाच के तो दिखा दो । भालू ने नाचना शुरू किया जिसे देखकर सभी बच्चे ख़ूब हंसे और ज़ोर से एक बार फिर ताली बजाई ।

मदारी ने कहा, 'अच्छा भालू राजा, गोद में अगर छोटा बच्चा हो तो आटा कैसे गूंथेंगे'? भालू ने जब एक हाथ से आटा गूंथने का अभिनय किया तो सभी ने एक बार फिर से तालियां बजाईं । अब मदारी ने बंदर और बंदरिया का खेल शुरू किया । डमरू बजाते हुए मदारी ने बंदर से पूछा कि क्या वह शादी करना चाहता है? बंदर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, 'हा'! मदारी ने पूछा कि किससे शादी करेगा? इस पर बंदर ने बंदरिया की तरफ़ इशारा कर दिया । यह देख सारे बच्चों ने एक बार फिर से तालियां बजाईं । फिर मदारी ने बंदरिया से पूछा, 'इस बंदर के साथ शादी करोगी? बंदरिया ने शरमाते हुए मना कर दिया ।

मदारी ने बंदरिया को समझाया तो वह मान गई और दोनो की शादी मदारी ने करा दी । उसके बाद बंदर-बंदरिया डमरू बजने पर नाचने लगे । मदारी ने सभी बच्चों से कहा कि वे अपने-अपने घर से आटा, साग-सब्ज़ी लाएं । सारे बच्चों ने ख़ुशी-ख़ुशी अपने-अपने घर से कुछ न कुछ लाकर मदारी को दिया और मदारी खेल ख़त्म कर चलता बना । खेल देखकर सभी बच्चे बहुत ख़ुश थे ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[9] ***कुलदीप कुमार*** *उत्तर प्रदेश के बराईपार गांव का निवासी है तथा कक्षा ८ का छात्र है ।*

अशिक्षा बनी मुसीबत

❑ *दीपक शाह*[10]

शिक्षा मनुष्य का मानसिक विकास तो करती ही है, साथ ही समाज के उत्थान में भी उसकी अहम भूमिका होती है । चमोली ज़िले के गैरसैंण ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव मटकोट में लगभग ५६ परिवार हैं । गांव में शिक्षा व शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है । गांव में किशोरियों की संख्या लगभग ७५ फीसदी है ।

अधिकांश बालिकाओं की पढ़ाई ८वीं कक्षा के बाद बंद करा दी जाती है । इसके पीछे मां-बाप के कई तर्क रहते हैं । पढ़-लिख कर ये कौन सा दफ़्तर तोड़ेंगी? ससुराल में जाकर तो इन्हें चौका-चूल्हे का काम ही करना है ।

गांव में किशोरियों के विकास के लिए बालिका शिक्षा, किशोरी सशक्तिकरण जैसे कई कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन वे किशोरियों से जुड़े मुद्दों को लेकर बहुत अधिक सफल नहीं रहे। गांव में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है । फलस्वरूप कम उम्र में मां बनने और गृहस्थी के बोझ के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

एक अध्ययन के निष्कर्ष के अनुसार इस गांव की २४ किशोरियां पिछले कुछ समय में बिन ब्याहे ही मां बन गईं । इन मामलों ने ख़ासा तूल पकड़ा और कुछ प्रकरण तो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

इस संदर्भ में गांव के सरपंच नारायण सिंह व कुछ अन्य महिलाओं का कहना है कि अशिक्षा के कारण किशोरियों व लड़कियों का मानसिक विकास पर्याप्त रुप से नहीं हो पाता । फलस्वरूप वे अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोच पातीं । गांव में इस तरह की घटनाएं इसी कारण घटती हैं । यदि लड़कियों को पर्याप्त शिक्षा मुहैया कराई जाए तो निश्चित ही वे अपने स्वास्थ्य व सुरक्षा को लेकर जागृत होंगी ।

यूं तो गांव में किशोरी संगठन चलाया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत कुछ ऐसे कार्यक्रमों को चलाए जाने की है जो कि किशोरियों को सही दिशा देने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करें । साथ ही उन्हें शिक्षित भी कर सकें ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[10] ***दीपक शाह*** *उत्तरांचल के धुनारघाट गांव का निवासी है ।*

सामाजिक विघटन का कारण बनते बाल-विवाह

❑ *सौरभ कुमार गौड़[११], राजेश जायसवाल[१२] व ज़ाहिदा ख़ातून[१३]*

नेपाल सीमा के निकटवर्ती ज़िले महाराजगंज के हरदीडाली गांव की १२ वर्षीय किशोरी सुरलता का विवाह जबरन कर दिया गया । सुरलता के माता-पिता ग़रीब और अशिक्षित हैं । यह एक सुरलता की ही कहानी नहीं बल्कि बहुत सी कमसिन किशोरियों की व्यथा है । इस क्षेत्र में बाल-विवाह का प्रचलन जोरों पर है जो कि सामाजिक विघटन का कारण भी बनता जा रहा है । इस घटना के दौरान जब महेश नामक युवक ने बाल-विवाह की ख़बर स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी तो पुलिस महेश से ही पैसे मांगने लगी ।

एक स्थानीय डॉक्टर पुष्पा जोशी का कहना है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से वे कई तरह की गम्भीर बीमारियों की शिकार हो सकती हैं । समाजसेवी पंकज राय के अनुसार लोग लड़कियों को बोझ मानते हैं । साथ ही उनकी मान्यता यह भी है कि यदि लड़की की शादी जल्दी नहीं की तो लोग उसके चरित्र पर संदेह करने लगते हैं । स्थानीय तहसील में वकील सुधीर शुक्ल का कहना है कि बाल-विवाह एक गम्भीर व चिंतनीय सामाजिक समस्या है । इससे न सिर्फ़ लड़की का, बल्कि लड़के का जीवन भी बरबाद होता है । श्री शुक्ल का मानना है कि बाल-विवाह रोकने के लिए कई क़ानून भी बनाये गए हैं, लेकिन क़ानून बनाने भर से काम नहीं चलेगा । इसके लिए समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी । साथ ही ग़ैरसरकारी संगठनों को जन-जागरूकता लाकर अहम भूमिका निभानी होगी । तभी ये क़ानून कारगर सिद्ध होंगे ।

बाल विवाह को रोकने के लिए समाज में व्याप्त प्रतिकूल रूढ़ियों व परम्पराओं को समाप्त करना होगा । साथ ही सामाजिक संगठनों को चाहिए कि वे बाल-विवाह के दुष्प्रभावों को नाटक, गीत, कहानी, फ़िल्म, आदि सांस्कृतिक व सृजनात्मक गतिविधियों द्वारा लोगों तक पहुंचाएं । गनबरिया के पूर्व प्रधान बाबू राम यादव का कथन है, ''हमारे यहां बाल-विवाह प्रथा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । हमारे यहां दो तरह के विवाह प्रचलन में हैं: एक, १४-१५ वर्ष की आयु में विवाह कर दिया जाता है, लेकिन लड़की की विदाई ५ वर्ष बाद की जाती है । तब तक वह बालिग़ हो जाती है । दूसरा, विवाह १८-२१ वर्ष होने के बाद ही करते हैं । यदि हमें सूचना मिलती है कि कहीं बाल-विवाह हो रहा है तो हम जाकर उस परिवार को समझाते हैं और उन्हें बाल-विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराते हैं । हम उन्हें बताते हैं कि बाल-विवाह क़ानूनन अपराध तो है । साथ ही लड़की के कम उम्र में माँ बनने से जच्चा और बच्चा दोनों को ख़तरा रहता है ।''

एक ग्रामीण सुखदेव यादव के अनुसार यह उनकी परम्परा है जोकि सदियों से चली आ रही है । इस परम्परा को हम ऐसे कैसे तोड़ दें? उनका कहना है कि यह सब पढ़े-लिखे और धनी लोगों के काम हैं । ''हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लड़कियों की शादी हो ताकि वे अपना घर बसाएं और लड़के शादी कर अपनी ज़िम्मेदारी संभालें'', सुखदेव यादव ने इस प्रकार अपना मत रखा । एक ग्रामीण महिला सुजाता देवी इस संबंध में कहती हैं, ''यह दुःखद घटना मेरे साथ भी हुई थी । जब मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था, तभी मेरे मां-बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी । तब से आज तक मैं कई परेशानियों का सामना कर रही हूँ । मैं सभी को यही कहती हूँ कि कभी भी अपने बच्चों की शादी कम उम्र में न करें'' ।

हमारा समाज बाल-विवाह प्रथा को रोकने के लिए धीरे-धीरे जागरूक हो रहा है । बावजूद इसके अभी भी यह प्रथा समाज के बड़े हिस्से को अपनी गिरफ़्त में लिए हुए है और सामाजिक विघटन को जारी रखे है । हमें सांझे प्रयासों से इसे रोकना होगा ।

● **चिप्रेस**

नोटः इस सामग्री का उपयोग होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक की राशि कृपया **ग्रासरूट्स मीडिया इनीशियेटिव** के नाम भेजें ।

[11] ***सौरभ कुमार गौड़*** *उत्तर प्रदेश के बिचलाडाली गांव का निवासी है तथा कक्षा ११ का छात्र है ।*

[12] ***राजेश जायसवाल*** *उत्तर प्रदेश के बिचलाडाली गांव का निवासी है तथा कक्षा ५ का छात्र है ।*

[13] ***ज़ाहिदा ख़ातून*** *उत्तर प्रदेश के अरघा गांव की निवासी है तथा कक्षा ८ की छात्रा है ।*